

Citizen Charter

नागरिक अधिकार-पत्र

2010



अनुसूचित जातियाँ एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा

एस०सी०ओ० 68-70, सैक्टर 17ए, चण्डीगढ़।

दूरभाष:-0172-2721874, 2716248, 2704006 फैक्स: 2702749

As on 31.12.2010

प्रस्तावना

अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों तथा विमुक्त/टपरीवास जातियों के सर्वोन्मुखी विकास के लिए हरियाणा राज्य में चलाई जा रही योजनाओं बारे सिटीजन चार्टर का यह तृतीय संस्करण है। इसमें विभिन्न योजनाओं में अब तक किए गए परिवर्तनों/संशोधनों को शामिल करके योजनाओं को अप-टू-डेट किया गया है। इसके साथ ही इस पुस्तिका में नई योजनाओं को भी शामिल किया गया है आशा है कि विभाग का यह प्रयास अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों तथा विमुक्त/टपरीवास जातियों के सदस्यों और इस क्षेत्र में कार्य कर रही संस्थाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगा।

प्रस्तावना

एस०सी० गोयल, आई०ए०एस०

प्रति के लिए निदेशक,
का ग्राह के लिए अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्ग
कल्याण विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़।

विषय सूची

क्रमांक	स्कीम का नाम	पृष्ठ संख्या
1	मकान अनुदान योजना	1
2	इन्दिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शुगन योजना	2
3	नागरिक संरक्षण अधिनियम, 1955	3-4
4	✓ अनुसूचित जाति/जन जाति अत्याधार निवारण अधिनियम, 1989	5
5	सिलाई प्रशिक्षण योजना	6
6	पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र	7
7	उच्च प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के छात्रों को कोचिंग प्रदान करना	8
8	✓ अनुसूचित जाति के छात्रों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	9
9	✓ पिछड़े वर्ग के छात्रों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	10
10	डॉ० अम्बेडकर मेधावी छात्र/छात्रा योजना	11-12
11	अनुसूचित जाति छात्रा उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना	13
12	अश्रीडेशन ऑफ मैरिट ऑफ एस०सी०/एस०टी० रसूडेन्ट्स	14
13	अस्वच्छ व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति	15
14	अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के बेरोजगार युवकों को कम्प्यूटर के माध्यम से टंकण तथा डाटा एन्ट्री में कौशल विकास	16
15	रोजगार उन्मुख संस्थाए/प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थापित करके रोजगार के संसाधन उत्पन्न करना	17

क्रमांक	स्कीम का नाम	पृष्ठ संख्या
16	अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को निजी संस्थाओं के माध्यम से प्रशिक्षण हेतु वित्तीय सहायता	18
17	बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना	19
18	पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिए छात्रावास निर्माण योजना	20
19	अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रावास योजना	21
20	डॉ. अन्वेषकर चिकित्सा सहायता योजना	22
21	अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग से सम्बन्धित संस्थाओं/प्रसंघों को वित्तीय सहायता	23
22	स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान योजना	24
23	अनुबन्ध क	25
24	अनुबन्ध ख	26-27
25	अनुबन्ध ग	28-29
26	शिकायत निवारण अधिकारी	30-31

अनुसूचित जाति तथा विमुक्त जाति/टपरीवास जाति के व्यक्तियों को मकान बनाने हेतु अनुदान

उद्देश्य

अनुसूचित जाति/विमुक्त जाति/टपरीवास जाति के व्यक्तियों को पक्का मकान बनाने, मरम्मत हेतु अनुदान प्रदान करके उनकी आवासीय समस्या का समाधान करना।

पात्रता

गरीबी रेखा से नीचे निर्वाहि कर रहे अनुसूचित जाति/विमुक्त एवं टपरीवास जाति के व्यक्तियों जिनके पास रहने योग्य मकान न हो तथा उनके पास ग्रामीण क्षेत्र में कम से कम 50 वर्ग गज का तथा शहरी क्षेत्र में 35 वर्ग गज का प्लाट हो तथा पहले इस प्रयोजन हेतु अनुदान प्राप्त नहीं किया हो। मकान मुरम्मत हेतु अनुदान के लिए प्लाट के क्षेत्रफल की सीमा लागू नहीं होती।

अनुदान राशि

मकान बनाने हेतु 50,000/- रुपये तथा 'मकान मुरम्मत' हेतु 10,000/- रुपये का अनुदान दिया जाता है।

आवेदन प्रक्रिया/आवेदन कैसे करें

- 1 विभाग द्वारा वर्ष में तीन बार पहले मास अप्रैल, अगस्त व दिसम्बर में आवेदन पत्र प्राप्त किये जाते हैं।
- 2 पूर्ण रूप से भरे हुए आकेबन पत्र जिसमें प्लाट का सदूत सरपंच/पटवारी की रिपोर्ट तथा बी०पी०एल० सूची सहित सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी/तहसील कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा करवाने होंगे।

अधिक जानकारी हेतु सम्बन्धित जिला/तहसील कल्याण अधिकारी से सम्पर्क करें।

इन्दिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शुगन योजना

उद्देश्य

इस योजना के अन्तर्गत समाज के सभी वर्गों की लड़कियों की शादी हेतु अनुदान दिया जाता है।

पात्रता

प्रार्थी हरियाणा राज्य का स्थाई निवासी हो।

प्रार्थी का नाम गरीबी रेखा से नीचे जीवन—यापन करने वालों (बी०पी०एल०) की सूची में दर्ज हो।

यह अनुदान एक व्यक्ति की दो लड़कियों की शादी तक दिया जाता है।

विधवा/तलाकशुदा महिला स्वयं के पुनर्विवाह हेतु भी अनुदान प्राप्त कर सकती है, बशर्ते वह स्कीम की अन्य शर्तें पूरी करती हो और उसने अपनी शादी हेतु पहले अनुदान प्राप्त न किया हो।

यदि किसी कारणवश शादी की तिथि से पूर्व प्रतिवेदन न दिया हो तो कारण स्पष्ट करते हुए शादी के एक मास बाद तक भी आवेदन किया जा सकता है।

अनुदान राशि

अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति/टपरीवास जाति के लोग तथा समाज के सभी वर्गों की विधवाएँ—

31,000/-रुपये

अन्य वर्गों के लोग—

15,000/-रुपये

आवेदन प्रक्रिया/आवेदन कैसे करें

आवेदन पत्र जिला/तहसील कल्याण अधिकारी से मुफ्त प्राप्त करके पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र जिसमें लड़की की आयु का प्रमाण—पत्र, जाति प्रमाण—पत्र, बी०पी०एल० सूची एवं सरपंच/पटवारी की रिपोर्ट व शादी कार्ड सहित उपरोक्त कार्यालय में जमा करवाने होंगे।

अधिक जानकारी हेतु सम्बन्धित जिला/तहसील कल्याण अधिकारी से सम्पर्क करें।

नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 की पालना हेतु स्कीमें

(1) कानूनी सहायता

उद्देश्य

अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत दर्ज मुकदमों, भूमिपतियों द्वारा अत्याधार और भूमि बेदखली के मुकदमों में पैरवी करने के लिए कानूनी सहायता दी जाती है।

अनुदान राशि

2500/-रुपये तक की राशि जिला कल्याण अधिकारी द्वारा तथा इससे अधिक जिला उपायुक्त द्वारा स्वीकृत की जाती है।

(2) अन्तर्राजातीय विवाह योजना

उद्देश्य

यह योजना छुआछूत उन्मूलन के लिए अन्तर्राजातीय विवाह को प्रोत्साहन देने हेतु चलाई जा रही है।

पात्रता

वर-वधु दोनों भारत के नागरिक होने चाहिए और अनुसूचित जाति से सम्बन्धित लड़का/लड़की हरियाणा का स्थाई निवासी हों इन द्वारा पहले इस स्कीम के अन्तर्गत लाभ न लिया गया हो।

प्रोत्साहन राशि केवल पहली शादी हेतु प्रदान की जाएगी। आवेदन पत्र शादी से एक वर्ष के अन्दर-2 देना चाहिए।

अनुदान राशि

50,000/- रुपये की राशि जिसमें 20,000/-रुपये नकद तथा 30,000/-रुपये नव-विवाहित जोड़े के संयुक्त नाम से 6 वर्षीय फिक्सड डिपोजिट के रूप में दिये जाते हैं।

आवेदन प्रक्रिया/आवेदन कैसे करें

सादे कागज पर हस्ताक्षर युक्त आवेदन पत्र जिसके साथ वर-वधु की जाति प्रमाण-पत्र, रिहायशी प्रमाण-पत्र, आयु प्रमाण-पत्र एवं विवाह पंजीकरण प्रमाण-पत्रों सहित जिला/तहसील कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा करवाने होंगे।

**(3) उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों को प्रोत्साहन
उद्देश्य**

अनुसूचित जाति के लोगों के भलाई कार्य जैसे छुआछूत दूर करना, गलियां पकड़ी करवाना तथा लड़कियों को स्कूल में प्रवेश करवाना आदि करने वाली ग्राम पंचायतों को दिया जाता है।

आवेदन प्रक्रिया/आवेदन कैसे करें।

सादे कागज पर पंचायत प्रस्ताव सहित आवेदन पत्र खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी की रिपोर्ट सहित जिला/तहसील कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा करवाने होंगे।

अनुदान राशि

50,000/-रुपये प्रति पंचायत।

(4) अस्पृश्यता निवारण हेतु गोष्ठी एवं समाओं का आयोजन

जिला कल्याण अधिकारियों द्वारा जिला मुख्यालय पर प्रमुख स्थानों पर सार्वजनिक समाओं/ग्रुप्पियों का आयोजन किया जाता है, जिसमें प्रसिद्ध व्यक्तियों जैसे समाज सुधारक तथा निजी उम्मीदवारों के द्वारा अस्पृश्यता निवारण बारे भाषण/लेख प्रतियोगिता करवाई जाती है।

प्रथम द्वितीय व तृतीय आने वाले उम्मीदवारों को इनाम के रूप में क्रमशः 500/-रुपये, 300/-रुपये व 200/-रुपये प्रदान किए जाते हैं।

अनुसूचित जाति/जन जाति (अत्याचार निवारण अधिनियम) 1989

उद्देश्य

इस एक्ट के अधीन गैर अनुसूचित जातियों के लोगों के अत्याचारों से पीड़ित अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। प्रार्थी गैर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के अत्याचारों जैसे भूमि का अनाधिकृत कब्जा, कर्त्तल, डकैती, बलात्कार व नरसंहार इत्यादि से पीड़ित हो तथा इसकी सम्बन्धित थाने में अनुसूचित जाति/जन जाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अन्तर्गत एफआईआर० दर्ज हो।

वित्तीय सहायता

विभिन्न प्रकार के अत्याचार होने पर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को 15,000/-रुपये से 2.00 लाख रुपये तक की राशि प्रदान की जाती है।

आवेदन प्रक्रिया/आवेदन कैसे करें

सादे कागज पर आवेदन पत्र प्राथमिकी रिपोर्ट, मैडिकल रिपोर्ट सहित जिला/तहसील कल्याण अधिकारी के कार्यालय में जमा करवाने होंगे।

अधिक जानकारी हेतु सम्बन्धित जिला/तहसील कल्याण अधिकारी/निकटतम थाना प्रभारी/चौकी इन्वार्ज से सम्पर्क करें।

सिलाई प्रशिक्षण योजना

उद्देश्य

अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग की विधवाओं, औरतों व गरीब लड़कियों को एक वर्षीय सिलाई प्रशिक्षण देकर उन्हें आजीविका कमाने के योग्य बनाना, जिसके लिए विभाग द्वारा राज्य में 83 कल्याण केन्द्र चलाए जा रहे हैं।

पात्रता

प्रशिक्षणार्थी के माता-पिता के परिवार की वार्षिक आय 1.00 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।

कल्याण केन्द्रों में निर्धारित सीटों की संख्या

प्रत्येक कल्याण केन्द्र में 25 सीटें होती हैं।

अनुदान राशि

प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को 100/-रुपये मासिक छात्रवृत्ति तथा 150/-रुपये मासिक कच्चे माल के अतिरिक्त एक वर्षीय प्रशिक्षण पूरा होने पर एक सिलाई मशीन मुफ्त प्रदान की जाती है।

आवेदन प्रक्रिया/आवेदन कैसे करें

जिस गांव में सिलाई सेंटर खोला जाता है उस गांव अथवा आस-पास की लड़कियाँ निर्धारित प्रपत्र में जिसके साथ माता-पिता की आय का प्रमाण-पत्र सलान हो भरकर समाज सेविका के पास जमा करवाने होंगे। साक्षात्कार उपरान्त प्रशिक्षणार्थियों का चयन किया जाएगा।

अधिक जानकारी हेतु सम्बन्धित जिला/तहसील कल्याण अधिकारी से सम्पर्क करें।

पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र

उद्देश्य

अनुसूचित जाति के छात्रों को स्टैनोग्राफी/टाईपिंग (अंग्रेजी तथा हिन्दी) में एक वर्षीय नियमित कोचिंग देना।

छात्रवृत्ति

100 / रुपये प्रतिमास

पात्रता/आय सीमा

प्रार्थी के माता-पिता/अभिभावकों की वार्षिक आय 44500/-रुपये से अधिक न हो तथा प्रार्थी हरियाणा का स्थाई निवासी हो।

प्रशिक्षण केन्द्र

पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र अम्बाला तथा भिवानी में हिन्दी/अंग्रेजी दोनों भाषाओं में स्टैनोग्राफी/टाईपिंग कोर्सों का आयोजन किया जाता है।

आवेदन प्रक्रिया/आवेदन कैसे करें

प्रत्येक वर्ष मई/जून माह में प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर उपरोक्त प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा आवेदन पत्र मांगे जाते हैं। पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र आय प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र सहित प्रधानाचार्य, पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र के कार्यालय में जमा करवाने होंगे। साक्षात्कार उपरान्त अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा।

अधिक जानकारी हेतु सम्बन्धित जिला/तहसील कल्याण अधिकारी पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्रों से सम्पर्क करें।

उच्च प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के छात्रों को कोचिंग प्रदान करना।

उद्देश्य

संघ लोक सेवा आयोग, हरियाणा लोक सेवा आयोग एवं अन्य भर्ती एजेन्सीज द्वारा ली जाने वाली उच्च प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के छात्रों को कोचिंग प्रदान करवाना तथा निजी क्षेत्रों जैसे:- जैव प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने हेतु विख्यात कोचिंग संस्थानों से प्रशिक्षण प्रदान कराना।

पात्रता

प्रार्थी अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग से सम्बन्धित हों।

प्रार्थी के माता-पिता/अभिभावकों की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। एक अन्यार्थी केवल दो बार ही इस स्कीम का लाभ ले सकता है।

आवेदन प्रक्रिया/आवेदन कैसे करें

विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष विख्यात कोचिंग संस्थानों से प्रस्ताव मांगे जाते हैं तथा विभागीय सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी कोचिंग संस्थान का चुनाव करेगी तथा उक्त कमेटी अन्यर्थियों का चयन करके सम्बन्धित संस्था में कोचिंग प्रदान करने हेतु भेजेगी।

अधिक जानकारी हेतु सम्बन्धित जिला/तहसील कल्याण अधिकारी से सम्पर्क करें।

अनुसूचित जाति के छात्रों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति

उद्देश्य

मैट्रिकोत्तर कक्षाओं में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना ताकि वे मैट्रिक के बाद अपनी शिक्षा पूरी कर सके।

छात्रवृत्ति

विभिन्न पोस्ट मैट्रिक कक्षाओं में 230/-रु० से 1200/-रु० तक प्रतिमास प्रति छात्र छात्रवृत्ति तथा अध्ययन दौरे हेतु 1600/-रु० प्रतिवर्ष तथा दूरवर्ती और अनुवर्ती शिक्षा सहित पत्राचार में पढ़ने वालों को कोर्स फीस की अदायगी के अतिरिक्त 1200/-रु० पाठ्य पुस्तकों के लिए प्रति वर्ष प्रदान किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त छात्रों द्वारा अदा की जाने वाली सभी आवश्यक नान-रिफण्डेबल फीसों की प्रतिपूर्ति की जाती है।

पात्रता

छात्र अनुसूचित जाति से सम्बन्ध रखता हो।

छात्र के माता-पिता या अभिभावक की वार्षिक आय 2,00,000/-रु० से अधिक न हो।
आवेदन प्रक्रिया

आवेदन पत्र कार्यालय जिला कल्याण अधिकारी अथवा सम्बन्धित संस्थान से मुफ्त प्राप्त किये जा सकते हैं तथा पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र जिनमें जाति, आय प्रमाण-पत्र सलंगन हों तथा संस्थान के प्राचार्य द्वारा सत्यापित किए हों। प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी तक उपरोक्त कार्यालयों में जमा करवाने होंगे।

स्कीम का परिपालन

शिक्षा विभाग/तकनीकी शिक्षा विभाग/स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग/ औद्योगिक प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा विभाग तथा कल्याण विभाग द्वारा।

अधिक जानकारी हेतु सम्बन्धित जिला/तहसील कल्याण अधिकारी से सम्पर्क करें।

पिछड़े वर्ग के छात्रों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति

उद्देश्य

मैट्रिकोत्तर कक्षाओं में पढ़ने वाले पिछड़े वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति/दयूशन फीस तथा विश्वविद्यालय फीस की प्रतिपूर्ति करना।

पात्रता की शर्तें

- 1 छात्र के माता-पिता की वार्षिक आय 44,500/-रु० से अधिक न हो।
- 2 छात्र पिछड़े वर्ग से सम्बन्धित हों।

छात्रवृत्ति की दरें:-

90/-रु० से 425/-रु० तक मासिक रख-रखाव भत्ते के अतिरिक्त दयूशन फीस/विश्वविद्यालय की परीक्षा की फीस की अदायगी की जाती है तथा सभी नान-रिफण्डेबल फीसों की प्रतिपूर्ति की जाती है।

आवेदन प्रक्रिया/आवेदन कैसे करें

आवेदन पत्र कार्यालय जिला कल्याण अधिकारी अथवा सम्बन्धित संस्थान से मुफ्त प्राप्त किये जा सकते हैं तथा पर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र जिनमें जाति, आय प्रमाण-पत्र सलग्न हों तथा संस्थान के प्राचार्य द्वारा सत्यापित किए हों। प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी तक उपरोक्त कार्यालयों में जमा करवाने होंगे।

सम्बन्धित संस्था अथवा जिला कल्याण अधिकारी, कार्यालय से प्राप्त करके प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी तक अपने संस्थान में जमा कराये जाते हैं।

अधिक जानकारी हेतु सम्बन्धित जिला/तहसील कल्याण अधिकारी से सम्पर्क करें।

डॉ० अम्बेदकर मेघावी छात्र/छात्रा योजना

उद्देश्य

शिक्षा के क्षेत्र में निरन्तर बढ़ रही प्रतिस्पर्धा के युग में अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्गों के छात्र/छात्राओं को सामान्य श्रेणी के छात्रों के साथ प्रतिस्पर्धा रखने हेतु तथा उन्हें सक्षम बनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना एवं मिडल से स्नातकोत्तर कक्षाओं में अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना।

पात्रता की शर्तें

1. छात्र/छात्रा अनुसूचित जाति या पिछड़े वर्ग से सम्बन्धित हो।
2. अनुसूचित जाति से सम्बन्धित छात्र/छात्रा ने मिडल, मैट्रिक अथवा 10+2 की बोर्ड परीक्षा (हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, सीबी०एस०ई० व आई०सी०एस०ई० आदि मान्यता प्राप्त बोर्डों से) में ग्रामीण क्षेत्र में 70 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्र में 75 प्रतिशत या इससे अधिक अंक तथा स्नातक स्तर पर 60 प्रतिशत ग्रामीण एवं 65 प्रतिशत अंक शहरी क्षेत्र में प्राप्त किये होने चाहिए।
3. पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं हेतु (केवल मैट्रिक कक्षा में) शहरी क्षेत्रों में 90 प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 85 प्रतिशत अंक होने चाहिए।

छात्रवृत्ति की दरें

कक्षा	शहरी	ग्रामीण	प्रतिवर्ष दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि
आठवीं	75%	70%	4000 रुपये
दसवीं	75%	70%	8000 रुपये
वरहवीं	75%	70%	आर्ट्स वाणिज्य एवं साईंस 6000 रुपये
			वाणिज्य एवं साईंस 8000 रुपये
			तकनीकी एवं व्यावसायिक 9000 रुपये
			मैडिकल व अलाईंड 10,000 रुपये
स्नातक	65%	60%	आर्ट्स, कामर्स व साईंस 9000 रुपये
			तकनीकी व व्यावसायिक 11,000 रुपये
			मैडिकल व अलाईंड 12,000 रुपये

आवेदन प्रक्रिया/आवेदन कैसे करें

आवेदन पत्र तहसील/जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय से मुफ्त प्राप्त करके जाति, रिहायशी, पास की गई परीक्षा का प्रमाण—पत्र सम्बन्धित प्राचार्य द्वारा सत्यापित आवेदन पत्र उपरोक्त कार्यालयों में जमा करवाने होंगे।

अधिक जानकारी हेतु सम्बन्धित जिला/तहसील कल्याण अधिकारी से सम्पर्क करें।

अनुसूचित जाति छात्रा उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना

उद्देश्य

इस स्कीम का उद्देश्य अनुसूचित जाति की लड़कियों की शिक्षा में गुणात्मक सुधार एवं उनको 10+2 के बाद शिक्षा जारी रखने हेतु प्रेरित करना।

पात्रता

छात्रा अनुसूचित जाति से सम्बन्ध रखती हो।

छात्रा के माता-पिता/अभिभावकों की वार्षिक आय 1.00 लाख रुपये से अधिक तथा 2.40 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।

उक्त छात्रवृत्ति तकनीकी, व्यावसायिक तथा विज्ञान एवं वाणिज्य में अध्ययनरत छात्राओं को ही प्रदान की जाएगी।

भारत सरकार की पोर्ट ऐंट्रिक छात्रवृत्ति योजना या अन्य किसी छात्रवृत्ति योजना का लाभ न लिया हो।

छात्रवृत्ति की दरें

क्रम संख्या	कक्षा	छात्रावासी	गैर-छात्रावासी कन्याएं
1	10+2 के बाद तकनीकी व व्यावसायिक कोर्सिज	7,000 रु०	5,000 रु०
2	वाणिज्य एवं विज्ञान में डिग्री कर रही छात्रा	9,000 रु०	7,000 रु०
3	तकनीकी व व्यावसायिक कोर्सों में डिग्री कर रही छात्रा	11,000 रु०	9,000 रु०
4	वाणिज्य एवं विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री कर रही छात्रा	12,000 रु०	10,000 रु०
5	व्यावसायिक व तकनीकी कोर्सों में स्नातकोत्तर कर रही छात्रा	14,000 रु०	12,000 रु०

आवेदन प्रक्रिया/आवेदन कैसे करें

आवेदन पत्र तहसील/जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय से मुफ्त प्राप्त करके जाति, रिहायशी, पास की गई परीक्षा का प्रमाण—पत्र सम्बन्धित प्राचार्य द्वारा सत्यापित आवेदन पत्र उपरोक्त कार्यालयों में जमा करवाने होंगे।

अधिक जानकारी हेतु सम्बन्धित जिला/तहसील कल्याण अधिकारी से सम्पर्क करें।

अपग्रेडेशन ऑफ मैरिट ऑफ एस०सी०/एस०टी० स्टूडेन्ट्स

उद्देश्य

भारत सरकार की यह योजना अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को शिक्षा निरन्तर जारी रखने के लिए तथा मैरिट प्रोत्साहन के लिए चलाई गई है।

पात्रता

छात्र हरियाणा राज्य का निवासी हो।

प्रार्थी अनुसूचित जाति से सम्बन्ध रखता हो।

छात्र आठवीं कक्षा पास होना चाहिए तथा नौवीं में प्रवेश लिया हो।

छात्रवृत्ति की दरें

कक्षा	ग्रान्ट
कक्षा 8वीं से 12वीं	बोर्डिंग एवं लोजिंग चार्ज 500/-रु० प्रतिमास पाकेट मनी 100/-रु० प्रतिमास दस महीने तक पुस्तक एवं स्टेशनरी 2000/-रु० प्रतिवर्ष

यह योजना श्री मदभगवतः गीता विद्या मन्दिर स्कूल, कुरुक्षेत्र में चलाई जा रही है।

आवेदन प्रक्रिया/आवेदन कैसे करें

यह योजना श्री मदभगवतः गीता विद्या मन्दिर स्कूल, कुरुक्षेत्र में चलाई जा रही है। अतः आवेदन पत्र उक्त संस्था से प्राप्त कर सभी प्रमाण-पत्रों सहित सम्बन्धित प्राचार्य को जमा करवाने होंगे।

अधिक जानकारी हेतु सम्बन्धित जिला/तहसील कल्याण अधिकारी अथवा सम्बन्धित विद्यालय से सम्पर्क करें।

अस्वच्छ व्यवसाय में लगे अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के बच्चों के लिए छात्रावास तथा प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति

उद्देश्य

सरकार द्वारा अस्वच्छ व्यवसायों जैसे शुष्क शौचालयों को साफ करना, खाल उतारने तथा चमड़ा रंगने का कार्य करने वाले व्यक्तियों के उन बच्चों की जो कि छठी से दसवीं तक पढ़ते हैं के लिए मुफ्त रहने, खाने पीने की सुविधा हेतु 6 छात्रावास क्रमशः फरीदाबाद, रोहतक, रेवाड़ी, करनाल तथा अम्बाला में तथा विमुक्त जातियों के लिए जीन्द में खोले हुए हैं।

छात्रवृत्ति

छात्रावास में रहने वाले तीसरी से दसवीं कक्षा के छात्रों को 700/-रु० प्रतिमास तथा 100/-रु० तदर्थ अनुदान प्रदान किया जाता है तथा गैर-छात्रावास छात्रों को पहली कक्षा से दूसरी कक्षा तक 110/-रु० प्रतिमास तथा 750/-रु० तदर्थ अनुदान प्रदान किया जाता है।

आवेदन प्रक्रिया / आवेदन कैसे करें

इच्छुक छात्र निर्धारित आवेदन पत्र जो कि छात्रावास/जिला/तहसील कल्याण अधिकारी कार्यालय से प्राप्त करने उपरान्त उपरोक्त कार्य के प्रमाण-पत्र जो कि उपरोक्त अधिकारी या प्रधानाचार्य या खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी हो सहित जिला/तहसील कल्याण अधिकारी कार्यालयों में जमा करवाने होंगे।

। एक कल्पना।

अधिक जानकारी हेतु सम्बन्धित जिला/तहसील कल्याण अधिकारी से सम्पर्क करें।

अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्गोंके बेरोजगार युवकों को कम्प्यूटर के माध्यम से टंकण तथा डाटा एन्ट्री में कौशल विकास उद्देश्य

कम्प्यूटर शिक्षा के माध्यम से अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्गों के बेरोजगार युवकों को प्रशिक्षण प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाने हेतु जिला हिसार, अम्बाला, भिवानी, रोहतक, रेवाड़ी एवं करनाल में उक्त कम्प्यूटर सेन्टर चलाये जा रहे हैं।
पात्रता

- 1 प्रार्थी अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग से सम्बन्धित हो।
- 2 प्रार्थी के माता-पिता की आय 1.50 लाख रुपये से अधिक न हो।

आवेदन प्रक्रिया/आवेदन कैसे करें

विभाग द्वारा जून/जुलाई मास में प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन पत्र सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय से प्राप्त कर जाति, रिहायशी एवं आय प्रमाण-पत्र सहित उपरोक्त कार्यालय में जमा करवाने होंगे। साक्षात्कार उपरान्त अभ्यार्थियों का चयन किया जाएगा।

अधिक जानकारी हेतु सम्बन्धित जिला/तहसील कल्याण अधिकारी से
सम्पर्क करें।

**रोजगार उन्नमुख संस्थाए/प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थापित करके
रोजगार के संसाधन उत्पन्न करना**

उद्देश्य

अनुसूचित जाति के बेरोजगार युवकों को विभिन्न तकनीकी एवं व्यावसायिक कोर्सों जैसे:- ड्राईविंग, खाद्य प्रसंस्करण, ऐयर होस्टेस, आटोमोबाईल और पैरामैडिकल इत्यादि ट्रेडस में प्रशिक्षण उपरान्त स्व-रोजगार हेतु प्रेरित करना।

पात्रता

- 1 प्रार्थी अनुसूचित जाति से सम्बन्धित होना चाहिए।
- 2 प्रार्थी के परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

आवेदन प्रक्रिया/आवेदन कैसे करें

तकनीकी शिक्षा एवं औद्योगिक प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा विभागों के माध्यम से विभिन्न प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे। जो कि तकनीकी शिक्षा विभाग से भी प्राप्त किए जा सकते हैं तथा जाति, रिहायशी एवं आय प्रमाण-पत्र सहित उपरोक्त कार्यालय में जमा करवाने होंगे।

**अधिक जानकारी हेतु औद्योगिक प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा तथा
तकनीकी विभागों से सम्पर्क करें।**

अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को निजी संस्थाओं के माध्यम से प्रशिक्षण हेतु वित्तीय सहायता

उद्देश्य

असंगठित क्षेत्र के अनुसूचित जाति के लोगों को कम्प्यूटर, फूड प्रोसेसिंग, कारपेन्टरी, इंस मेकिंग, हेयर स्टाईलिंग एवं ब्यूटिशियन, प्लास्टिक प्रोसेसिंग, आटोमोबाईल रिपेयरिंग, इलेक्ट्रीशियन इत्यादि ट्रेडों के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराना।

पात्रता

- 1 प्रार्थी हरियाणा राज्य का स्थाई निवासी हो।
- 2 प्रार्थी अनुसूचित जाति से सम्बन्ध रखता हो तथा उसकी पारिवारिक आय 2.50 लाख रुपये से अधिक न हो।

आवेदन प्रक्रिया/आवेदन कैसे करें

अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग, कल्याण विभाग, हरियाणा द्वारा प्रशिक्षण प्रदान करने वाली संस्थाओं से प्रस्ताव अमांत्रित करने उपरान्त विभिन्न प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे। जो कि चयनित संस्थान जिस द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा को जाति, रिहायशी एवं आय प्रमाण-पत्र सहित उपरोक्त संस्था में जमा करवाने होंगे।

अधिक जानकारी हेतु सम्बन्धित जिला/तहसील कल्याण अधिकारी से सम्पर्क करें।

बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना

उद्देश्य

इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में अनुसूचित जाति के छात्र एवं छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा प्रदान करना है।

अनुदान राशि

अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए छात्रावास बनाने हेतु 100 प्रतिशत अनुदान भारत सरकार द्वारा दिया जाता है जबकि लड़कों के लिए छात्रावास बनाने के लिए 50 प्रतिशत अनुदान भारत सरकार तथा 50 प्रतिशत अनुदान राज्य सरकार देती है। स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा लड़कियों के छात्रावास बढ़ोतरी हेतु भारत सरकार 90 प्रतिशत अनुदान देती है, जबकि 10 प्रतिशत राशि संस्था द्वारा वहन की जाती है। इसी प्रकार लड़कों के छात्रावास बढ़ोतरी हेतु 45 प्रतिशत अनुदान भारत सरकार तथा 45 प्रतिशत राज्य सरकार एवं 10 प्रतिशत संस्था द्वारा वहन की जाती है।

आवेदन प्रक्रिया/आवेदन कैसे करें

पूर्ण रूप से तैयार किए गए प्रस्ताव जिसमें जमीन का प्रमाण-पत्र संस्था का पंजीकरण पत्र इत्यादि जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा करवाने होंगे।

अधिक जानकारी हेतु सम्बन्धित जिला/तहसील कल्याण अधिकारी से सम्पर्क करें।

पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिए छात्रावास निर्माण योजना उद्देश्य

इस स्कीम का उद्देश्य पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं को आवासीय सुविधा प्रदान करना है। अनुदान राशि अनुदान राशि

इस योजना के अन्तर्गत पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिए छात्रावास बनाने हेतु सरकारी/गैर सरकारी स्वैच्छिक संस्थाओं को 50 प्रतिशत राशि भारत सरकार द्वारा तथा 50 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा 100 छात्र/छात्राओं के लिए अनुदान के रूप में दी जाती है। स्कीम हिदायतों अनुसार आवेदन पत्र सम्बन्धित उपायुक्त की सिफारिश सहित इस विभाग को भिजवा सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया /आवेदन कैसे करें

पूर्ण रूप से तैयार किए गए प्रस्ताव जिसमें जमीन का प्रमाण—पत्र संस्था का पंजीकरण पत्र इत्यादि जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा करवाने होंगे।

अधिक जानकारी हेतु सम्बन्धित जिला/तहसील कल्याण अधिकारी से सम्पर्क करें।

अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रावास योजना

उद्देश्य

मिडल कक्षा से विश्वविद्यालय स्तर तक शिक्षा प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं हेतु छात्रावास निर्माण के लिए अनुदान।

वित्तीय सहायता तथा उसके लिए पात्रता

इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा 50:50 के मैचिंग आधार पर खर्चा किया जाता है। अनुदान राशि पी०डब्ल्य०डी०(वी० एण्ड आर०) द्वारा निर्धारित भूमि रेट के आधार पर दी जाती है। स्वैच्छिक संस्थाओं को 10 प्रतिशत भाग रखयं बहन करना होता है तथा शेष 90 प्रतिशत राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत की जाती है।

अधिक जानकारी हेतु सम्बन्धित जिला/तहसील कल्याण अधिकारी से सम्पर्क करें।

डॉ० अम्बेदकर चिकित्सा सहायता योजना

उद्देश्य

अनुसूचित जाति के ऐसे व्यक्तियों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध करना जो गुर्दा, हृदय, जिगर, कैंसर तथा मरिटिष्ट से सम्बन्धित गम्भीर बीमारी, घुटने व रीढ़ की हड्डी की बीमारी या किसी जीवन घातक बीमारी से पीड़ित हों।

पात्रता

आवेदक अनुसूचित जाति समुदाय का हो।

वार्षिक पारिवारिक आय 50,000 रुपये से कम हो।

उपरोक्त बीमारी से ग्रस्त तथा शल्य किया की जरूरत हो।

सहायता राशि

1,00000 लाख रुपये।

आवेदन प्रक्रिया/आवेदन कैसे करें

अनुमानित व्यय का मूल प्रमाण-पत्र जो चिकित्सा अधीक्षक से सत्यापित हो।

आय प्रमाण पत्र अभिप्रमाणित प्रति।

आवेदन पत्र स्थानीय सांसद, जिला अधिकारी, उपायुक्त स्वास्थ्य या समाज कल्याण विभाग के प्रभारी सचिव से अग्रसरित करवाकर निदेशक, डॉ० अम्बेदकर प्रतिष्ठान, 15 जनपथ, नई दिल्ली-110001 के पास शल्य किया से 15 दिन पूर्व पहुँचाये जाने चाहिए।

अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग से सम्बन्धित संस्थाओं / प्रसंघों को वित्तीय सहायता

उद्देश्य

अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग की संस्थाओं/प्रसंघों को सामुदायिक विकास तथा शिक्षा क्षेत्र के लिए प्रयुक्त होने वाले भवनों के निर्माण एवं रिपेयर/टी०वी० शिक्षा उपकरण खरीद इत्यादि के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करना।

पात्रता

संस्था सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत रजिस्टर्ड होनी चाहिए।

संस्था के पास 100 वर्गगज का प्लाट होना चाहिए।

पांच साल बाद पुनः अनुदान के लिये हकदार हो सकती है।

आवेदन प्रक्रिया/आवेदन कैसे करें

निर्धारित प्रपत्र में सभी दस्तावेजों जैसे जमीन प्रमाण पत्र, नकशा इत्यादि जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा कराने होंगे।

स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान योजना

उद्देश्य

अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों के कौशल विकास एवं आय उपार्जन के लिए विभिन्न प्रशिक्षण प्रदान करना एवं चेतना पैदा करना।

पात्रता

संस्था सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत पंजीकृत होनी चाहिए।

गैर-सरकारी संस्था कम-से-कम दो वर्ष से कार्यरत हो।

अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के व्यक्तियों की संख्या 60 प्रतिशत से कम न हो।

इस रकीम के तहत विभिन्न प्रकार की गतिविधियों जैसे शिक्षा स्वास्थ्य, समाज कल्याण व सभी प्रकार के प्रशिक्षण कार्यों हेतु आवेदन किया हो।

आवेदन प्रक्रिया/आवेदन कैसे करें

क्योंकि यह एक भारत सरकार की योजना है। अतः प्रस्ताव तैयार करके जिला कल्याण अधिकारियों की संस्तुति सहित निदेशक, अनुसूचित जातियाँ एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग को भेजा जाये।

अनुबन्ध - "क"

अनुसूचित जाति की सूची

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. आदधर्मी | 21. कोरी, कोली |
| 2. वाल्मीकि, चूड़ा, भंगी | 22. मरीजा, मरीचा |
| 3. बंगाली | 23. मजहबी, मजहबी सिख |
| 4. बरार, बुरार, विरार | 24. मेघ, मेघवाल |
| 5. बटवाल, बरवाला | 25. नट, बादी |
| 6. बोरिया, बावरिया | 26. ओड |
| 7. बाजीगर | 27. पासी |
| 8. भंजरा | 28. पेरना |
| 9. चमार, जटिया—चमार, रेहगर, रायगर,
रामदासी, रविदासी, बलाही, बटोही,
भटोई, भाष्वी, चमार—रोहिदास,
जाटव, जाटवा, मोची, रामदासिया | 29. फरेरा |
| 10. चनाल | 30. सनहाई |
| 11. दागी | 31. सनहाल |
| 12. डरेन | 32. सांसी, भेंडकूट, मनेश |
| 13. डेहा, डहया, डीया | 33. संसोई |
| 14. धानक | 34. सपेला, सपेरा |
| 15. डोगरी, डांगरी, सिणी | 35. सरेडा |
| 16. झूमना, महाशा, झूम | 36. सिकलीगर, बारिया |
| 17. गगडा | 37. सिरकीबंद |
| 18. गंधीला, गंदील, गंदोला | |
| 19. कबीर पंथी, जुलाहा | |
| 20. खटीक | |

अनुबन्ध - "ख"

विमुक्त जाति की सूची

1.	बंगाली	xiv)	हाबूरा
2.	बरार	xv)	कीकन
3.	बोरिया	xvi)	हरार
4.	नट	xvii)	रहलवाला
5.	गंधीला	xviii)	बिड्ढू
6.	सासी	xix)	लेगेह
(नीचे लिखी उप जातियों सहित)		xx)	सिंगीवाला
i)	कूचबन्द	xxi)	कलखर
ii)	भेड़कूट	xxii)	चड्डी, चाडी
iii)	मनेश	xxiii)	बीरतवान
iv)	गोदरी	xxiv)	बिहालिया
v)	रेचबन्द	xxv)	पाखीवाड़ा
vi)	केपेट	xxvi)	बददन
vii)	अहारिया	xxvii)	हरनी
viii)	तेतलू	7.	करनाल के तेगू
ix)	भेड़िया	8.	पुलिस स्टेशन शंकरपुर जिला
x)	भंटू		शेखपुरा से आने वाले महातम
xi)	अरहर	9.	मीना
xii)	भटूट	10.	गुडगांवा के धीनवारा
xiii)	चाटूटू	11.	जिला कांगड़ा के भौरा ब्राह्मण

टपरीवास जाति की सूची

अनुबन्ध - "ग"

हरियाणा राज्य में पिछड़े वर्ग की सूची
ब्लाक "ए"

क्रमांक	जाति का नाम	क्रमांक	जाति का नाम
1.	अहेरिया, अहेड़ी, हेड़ी, नायक, थोरी या तूरी, हारी	19.	धीमार, मल्लाह, कश्यप-राजपूत, कहार, झीवर, धीवर, खेवट, मेहरा, निषाद, शक्का, भिस्ती, शेख-अब्बासी
2.	बर्रा	20.	धौसाली, दोसाली
3.	बेटा, हैंसी या हैसी	21.	फकीर
4.	बगड़िया	22.	गवारिया, गोरिया, गवार
5.	बरवार	23.	धीराथ
6.	बराए, तम्बोली	24.	घासी, घसियारा, या घौसी
7.	बरागी, बैरागी, स्वामी साध	25.	गोरखा
8.	बटेरा	26.	गवाला, गोवाला
9.	भडभूजा, भडभूजा	27.	गडरिया, पाल, बाघेल
10.	भाट, भाटडा, दार्पी, रामिया	28.	गाड़ी लोहार
11.	बुहालिया-लोहार	29.	हजाम, नाई, नाईज, सैन
12.	चन्नार	30.	झांगडा-ब्राह्मण, खाती, सुथार, धीमान, तरखान, बरहाई, बाढ़डी
13.	चिड़ीमार	31.	जोगीनाथ, जोगी, नाथ, जंगम-जोगी, योगी
14.	चंग	32.	कंजर, कंचन
15.	चिम्पा, छिप्पी, चिम्पा, दर्जी, रोहिला	33.	कुर्मी
16.	डेया	34.	कुम्हार, प्रजापति
17.	धोबी		
18.	डाकोत		

क्रमांक	जाति का नाम	क्रमांक	जाति का नाम
35.	कम्बोज	56.	ठठेरा, तमेरा
36.	खंगहेडा	57.	तेली
37.	कुचबन्द	58.	वजारा, वजारा
38.	लवाना	59.	वीवर (जुलाहा)
39.	लखेरा, मनीहार, कचेरा	60.	बादी/बादो
40.	लोहार, पांचाल	61.	भट्टू/चट्टू
41.	मदारी	63.	रेहवारी
42.	मोवी	64.	चारन
43.	मिरासी	65.	चारज (महा ब्राह्मण)
44.	नार	66.	उदासीन
45.	नुनगर	67.	रामगढ़िया
46.	नलबन्द	68.	रंगरेज, लीलगर, नीलगर, लल्लारी
47.	पिंजा, पेंजा	69.	डावला, सोनी-डावला, नियारिया
48.	रेहार, रेहाडा या रे	70.	भर, राजभर
49.	रायगर	71.	नट (मुस्लिम)
50.	रायसिक्ख		बलाक “बी”
51.	रेचबन्द	1.	अहीर/यादव
52.	शोर गिर, शेरगिर	2.	गुज्जर
53.	सोई	3.	लोध/लोधा, लोधी
54.	सिंगीकाट, सिंगीवाला	4.	सैनी, शाक्या
55.	सुनार, जरगर, सोनी	5.	मेव

शिकायत निवारण अधिकारी

यदि आपको विभागीय स्कीमों बारे कोई जानकारी लेनी है अथवा कोई शिकायत है तो कृपया नीचे दर्शाई गई सूची में दिये गये दूरभाष नम्बरों पर सम्पर्क कर सकते हैं:-

क्र०	शिकायत निवारण अधिकारी	दूरभाष न०
सं०		
1	निदेशक, अनुसूचित जातियाँ एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा, एस०सी०ओ० न० 66-67, सैकटर 17-ए, चण्डीगढ़।	0172-2721874
2	संयुक्त निदेशक	0172-2716248
3	उपनिदेशक (स्कीम)	0172-2704006
4	उपनिदेशक (योजना)	0172-2702714
5	जिला कल्याण अधिकारी, अम्बाला	0171-2536450
6	जिला कल्याण अधिकारी, पंचकूला	0172-2583378
7	जिला कल्याण अधिकारी, यमुनानगर	01732-237859
8	जिला कल्याण अधिकारी, कुरुक्षेत्र	01744-220459
9	जिला कल्याण अधिकारी, कैथल	01746-226637
10	जिला कल्याण अधिकारी, करनाल	0184-2272093
11	जिला कल्याण अधिकारी, पानीपत	0180-2658065
12	जिला कल्याण अधिकारी, सोनीपत	0130-2220732
13	जिला कल्याण अधिकारी, फरीदाबाद	0129-2285175
14	जिला कल्याण अधिकारी, मेहात	01267-274679
15	जिला कल्याण अधिकारी, पलवल	01275-248056
16	जिला कल्याण अधिकारी, गुडगाँव	0124-2305415

क्र०	शिकायत निवारण अधिकारी	दूरभाष न०
सं०		
17	जिला कल्याण अधिकारी, रेवाड़ी	01274-221758
18	जिला कल्याण अधिकारी, रोहतक	01262-269842
19	जिला कल्याण अधिकारी, झज्जर	01251-254779
20	जिला कल्याण अधिकारी, नारनील	01282-250271
21	जिला कल्याण अधिकारी, भिवानी	01664-242629
22	जिला कल्याण अधिकारी, हिसार	01662-283360
23	जिला कल्याण अधिकारी, जीन्द	01681-269044
24	जिला कल्याण अधिकारी, फतेहाबाद	01667-230169
25	जिला कल्याण अधिकारी, सिरसा	01666-248891

विस्तृत जानकारी के लिए www.socialjusticehry.nic.in वैबसाइट देखें।